संचिका संख्या–11/वि 11–16/2023 ....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

संजय कुमार,
संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **"बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" के नियम–8 के तहत प्रक्रिया निर्धारण करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" के नियम–8 में अंकित है कि "पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम–7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकतानुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जा सकेगा।"

उक्त नियम के आलोक में पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक उक्त नियमावली में वर्णित विद्यालय अध्यापक के संवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता धारित करने के शर्त पर आवेदन निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए दे सकेंगेः–

(i) आवेदन देने की अंतिम तिथि के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित होने की स्थिति में उसे नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(ii) पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक यदि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा अन्य कोई जाँच के क्रम में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त हुए होंगे, वे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे।

(iii) नवनियुक्त पद पर योगदान करने के पूर्व पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के सक्षम प्राधिकार के द्वारा उन्हें विरमित करना आवश्यक होगा और विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान के पूर्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष उसे उपस्थापित करना होगा।

(iv) पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु को शिथिल करने के निमित निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या–934 दिनांक–25.05.2023 में लिया गया है, वह यथावत रहेगा।

अतः निदेशानुसार कहना है कि उक्त प्रक्रिया की सूचना सभी संबंधितों को अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव, शिक्षा
विभाग।

ज्ञापांक–11/वि 11–16/2023 1258 पटना, दिनांक–28/6/2023

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी जिला पंचायतीराज पदाधिकारी/ सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.6.23
संयुक्त सचिव, शिक्षा
विभाग।

D:Director Letter — (1090)